रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2556] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2014/अग्रहायण 25, 1936
No. 2556] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2014/AGRAHAYANA 25, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3190(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के भारत के राजपत्र संख्या 32 तारीख 10.08.2013 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 1624, तारीख 05.08.2013 में प्रकाशित (हिन्दी भाग) में निम्नलिखित रूप से पृष्ठ संख्या–4299 में संशोधन करती है, अर्थात् :–

1. पृष्ठ संख्या–4299 के प्रथम लाईन में ''सिवान से बैतालपुर तक'' के स्थान पर ''पटना–मोतीहारी–बैतालपुर पाईपलाईन प्रोजेक्ट के अंतर्गत'' पढ़ा जाए।

[फा. सं. आर–25011/23/2013–ओआर–I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

S.O. 3190(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes of following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas published in the Gazette of India No. 32, dated 10.08.2013 Part II, Section, 3, Sub-section (ii) *vide,* S.O. No. 1624, dated 05.08.2013 at page 4316 namely:—

1. At page 4316 in 3rd line for "Siwan to Baitalpur Pipeline" read as "Patna-Motihari-Batalpur Pipeline Project."

[F. No. 25011/23/2013–OR-1]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

का. आ. 3191(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के भारत के राजपत्र संख्या 32, तारीख 10.08.2013 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 1623, तारीख 05.08.2013 में प्रकाशित (हिन्दी भाग) में निम्नलिखित रूप से पृष्ठ संख्या–4256 में संशोधन करती है, अर्थात् :–

1. पृष्ठ संख्या–4256 के प्रथम लाइन में ''सिवान से बैतालपुर तक'' के स्थान पर ''पटना–मोतीहारी–बैतालपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत'' पढ़ा जाए।

[फा. सं. आर–25011/23/2013–ओआर–I]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

S.O. 3191(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes of following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas published in the Gazette of India No. 32, dated 10.08.2013 Part II, Section, 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. No. 1623 dated 05.08.2013 at page 4279 namely:—

1. At page 4279 in 3rd line for "Siwan to Baitalpur Pipeline" read "Patna-Motihari-Baitalpur Pipeline Project."

[F. No. 25011/23/2013–OR-1]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3192(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के भारत के राजपत्र संख्या–32, तारीख 10.08.2013 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 1622, तारीख 05.08.2013 में प्रकाशित (हिन्दी भाग) में निम्नलिखित रूप से पृष्ठ संख्या–4215 में संशोधन करती है, अर्थात् :–

1. पृष्ठ संख्या–4215 के प्रथम लाइन में ''सिवान से बैतालपुर तक'' के स्थान पर ''पटना–मोतीहारी–बैतालपुर पाईपलाईन प्रोजेक्ट के अंतर्गत'' पढ़ा जाए।

[फा. सं. आर–25011/23/2013–ओआर–I]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

S.O. 3192(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes of following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas published in the Gazette of India No. 32 dated 10.08.2013 Part II, Section, 3, Sub-section (ii) *vide,* S.O. No. 1622, dated 05.08.2013 at page 4237 namely:—

1. At page 4237 in 3rd line for "Siwan to Baitalpur Pipeline" read "Patna-Motihari-Baitalpur Pipeline Project."

[F. No. 25011/23/2013–OR-1]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.